JALAUN POLICE

**दिनांक – 07.03.2025**

**श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ महोदय के निर्देशन में ऑपरेशन कान्विक्शन के तहत प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक झांसी परिक्षेत्र झांसी के पर्यवेक्षण में पुलिस अधीक्षक जालौन द्वारा सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।**

जालौन पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं अचूक साक्ष्य संकलन तथा डीजीसी क्रिमिनल व उनकी टीम, कोर्ट पैरोकार की प्रभावी पैरवी फलस्वरूप 02 अभियोग में मान0 न्यायालय द्वारा 06 अभियुक्तगण को अधिक से अधिक सजा एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

मुकदमें में सजा पाये अभियुक्तगण का विवरण निम्नवत है –

**प्रकरण प्रथम**–अभियुक्तगण द्वारा वादी श्री चतुर सिंह के पिता परशुराम को मारपीट कर गम्भीर रूप से घायल कर दिया था जिनकी उपचार के दौरान मृत्यु हो गयी थी जिसके संबन्ध में वादी की तहरीर के आधार पर थाना सिरसाकलार में दिनांक 13.03.2024 को मु0अ0सं0 39/2024 (वाद संख्या 93/24) धारा 147/148/149/323/504/506/304 भादवि बनाम 1- राजू चौहान पुत्र रघुनन्दन 2. पप्पू उर्फ प्रमोद पुत्र मलखान 3. शिवम 4.सत्यम पुत्रगण पप्पू उर्फ प्रमोद 5. किशन उर्फ कृष्णा पुत्र राजू चौहान समस्त निवासीगण ग्राम जखा थाना सिरसाकलार जनपद जालौन के अभियोग पंजीकृत हुआ था। अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर मान0 न्यायालय भेजा गया था। विवेचक द्वारा प्रभावी साक्ष्य संकलन व गवाहो के बयान अंकित कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही एवं विवेचना पूर्ण करते हुये अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्ध दिनांक 29.04.2024 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

जालौन पुलिस टीम एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुये दिनांक 07.03.2025 को मा0 न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट उरई, जनपद जालौन द्वारा समस्त अभियुक्तगण को दोषी पाते हुये 07-07 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 36,000-36,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

**प्रकरण द्वितीय**– कोतवली कोंच पुलिस द्वारा दिनांक 14.12.2018 को अभियुक्त काले कुरैशी पुत्र रफीक नि0 अराजी लाइन कस्बा व थान कोंच जनपद जालौन को 01 अदद तमन्चा व 01 जिन्दा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया था जिसके सम्बन्ध में कोतवाली कोंच में मु0अ0सं0 360/18 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत हुआ था, जिसकी विवेचना सम्पादित कर आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

जालौन पुलिस टीम एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुये दिनांक 07.03.2025 को मा0 न्यायालय अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट जनपद जालौन द्वारा स्वेच्छा से जुर्म स्वीकार करने पर अभियुक्त काले कुरैशी उपरोक्त को दोषी पाते हुये जेल में बितायी गयी अवधि व 10 माह का कारावास एवं 2,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।